न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 109/2017 ::

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. रोशन बानु पत्नि ताज मोहम्मद पुत्री मोहम्मद खॉ 2. अब्दुल गफार पुत्र ताज मोहम्मद 3. अब्दुल जब्बार पुत्र ताज मोहम्मद 4. शेर मोहम्मद पुत्र ताज मोहम्मद 5. मोहम्मद हनीफ पुत्र ताज मोहम्मद 6. छोटी पत्नि अब्दुल सत्तार पुत्रवधु ताज मोहम्मद 7. सदाम हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार पौत्र ताज मोहम्मद 8. रिजवाना बानो पुत्री अब्दुल सत्तार पौत्री ताज मोहम्मद, तमाम अकवाम रंगरेज, निवासी जैतारण जिला पाली		राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार, जैतारण राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से एडवोकेट मो. शरीफ काजी
सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 16.01.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार जैतारण प्रकरण 03/2016 बअनवान रोशन बानो बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम जैतारण के खसरा संख्या 49, 221, 227, 444 एवं ग्राम रतनपुरा के खसरा नम्बर 64, 65 की आराजी मोहम्मद पुत्र फुलेखां जाती रंगरेज मुसलमान निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली के नाम तथा ग्राम रतनपुरा की खसरा नम्बर 63 व 67 की भूमि जैतून पत्नि मोहम्मद खां के नाम की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। मोहम्मद खां की मृत्यु दिनांक 03.01.2015 को हो चुकी है स्व. मोहम्मद खां के विधिक वारिशान में एक मात्र उसकी पुत्री रोशन बानो पत्नि ताज मोहम्मद जीवित है तथा एक अन्य पुत्री जूमया व पत्नि जैतुन थे पुत्री जूमया एवं पत्नि जैतुन का निधन मोहम्मद खां के जीवित रहते ही हो चुका था। अपीलाण्ट उसकी एक मात्र जीवित वारिश होने एवं उसके द्वारा अपने पिता मोहम्मद खां की अन्त समय में देखभाल एवं सेवा करने से मोहम्मद खां द्वारा अपने जीवनकाल में एक अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 28.03.2003 को अपनी पुत्री रोशन बानो एवं उनकी सन्तानों के पक्ष में लिख दिया। मोहम्मद खां की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री रोशन बानो

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.........2

एवं उनकी सन्तानों ने वसीयतनामे के आधार पर जैर अपील आराजी का नामान्तरकरण उनके नाम स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार जैतारण के समक्ष आवेदन पेश किया। जिस पर तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 19.09.16 को प्रकरण संख्या 03/2016 की पत्रावली कायम कर वसीयत के दो गवाहान चांद खॉ एवं मदन लाल के बयान दर्ज किए गए। उक्त वसीयतनामे बाबत सार्वजनिक आपत्ती अखबार के विज्ञापन के जरिये निकाली गई तथा इस संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वसीयत को नियम विरूद्ध करार मानते हुए वसीयत के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करना अनूचित मान कर प्रार्थिया रोशना बानों का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का से मौका रिपोर्ट तलब करने एवं जैर अपील भूमि पर एक मात्र अपीलाण्ट का कब्जा होने के बावजूद भी न तो वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण भरने के आदेश दिए न ही विधिक वारिसान के आधार पर ही नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए। इस प्रकार विधि विरूद्ध एवं अस्पष्ट आदेश को निरस्त फरमाया जावे। अपीलाण्टगण के विरूद्ध जैर अपील निर्णय उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया। जिसकी सूचना अपीलाण्टगण को नहीं दी गई एवं जैर अपील प्रकरण अपीलाण्टगण के हक अधिकारों से संबंधित होने से जानकारी होते ही अपील श्रीमान के समक्ष पेश कर दी गई। जिसे अन्दर म्याद शुमार फरमावें।

सरकारी पैराकार ने वक्त बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतनामे को पैतृक भूमि से संबंधित होने एवं अपंजीकृत होने के कारण नियम विरूद्ध मानते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है तथा प्रार्थिया द्वारा फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र किसी प्रकार का उल्लेख नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जो विधि सम्मत है। मोहम्मद खां के मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा धारित भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थिया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई एवं इस न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील हक हकूकों एवं वारिसान द्वारा अपने पिता के नाम की भूमि का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने हेतु प्रस्तुत की है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। जहां हक हकूक का प्रश्न है वहां म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। इसलिए अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद मानी जाकर गुणावगुण का विवेचन कर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। ग्राम जैतारण के खसरा संख्या 49, 221, 227, 444 एवं ग्राम रतनपुरा के खसरा नम्बर 64, 65 की आराजी मोहम्मद पुत्र फुलेखां जाती रंगरेज मुसलमान निवासी जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली के नाम तथा ग्राम रतनपुरा की खसरा नम्बर 63 व 67 की भूमि जैतून पत्नि मोहम्मद खां के नाम की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। मोहम्मद खां पुत्र फुलेखां की पत्नि का देहान्त उनके जीवनकाल में दिनांक 15.01.2003 को हो चुका था तथा मोहम्मद खां का निधन 03.01.2015 को हुआ।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....3

मोहम्मद खां के अन्त समय में उसकी सेवा एवं देखभाल उसकी पुत्री रोशन बानो पत्नि ताज मोहम्मद द्वारा की गई। जिससे मोहम्मद खां द्वारा जैर अपील आराजी का एक अपंजीकृत वसीयतनामा अपनी पुत्री रोशन बानों एवं उसकी सन्तानों के नाम दिनांक 28.03.2003 को कर दिया था। जिसकी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र वसीयतनामे के अनुसार इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में कराने के हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र यह मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया कि "मोहम्मद खां पुत्र फुले खां द्वारा पैतृक/पुश्तैनी भूमि की वसीयत की गई जो नियम विरूद्ध होने से मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वसीयतकर्ता द्वारा की गई नियम विरूद्ध वसीयत के आधार पर वसीयतगृहिताओं के नाम पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया जाना अनुचित है, लिहाजा वसीयतनामा काबिल खारिज है। " एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया रोशन बानो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपंजीकृत वसीयत बाबत आपत्तियां आमन्त्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी करने के पश्चात कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र निरस्त इस आधार पर कर दिया कि भूमि पुश्तैनी है। जिसके संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अलावा कोई रेकॉर्डेड सबूत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विधिक रूप से किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि का उसके विधिक वारिशान के नाम ही फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया जाना होता है। वसीयतनामा खारिज करने के उपरांत भी अपीलाण्ट स्व. मोहम्मद खां की जायन्दा पुत्री होने से उसकी सम्पति में हक अधिकार का उसका दावा करना न्यायोचित है।

परिणामस्वरूप अपीला अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार जैतारण द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2016 बअनवान रोशन बानो वगैरा बनाम सरकार निर्णय दिनांक 22.03.2017 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार जैतारण को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में महरूम मोहम्मद खां के विधिक वारिशान का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार बाद जांच किया जावें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड पालनार्थ लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)